

## वन और क्षेत्राधिकार

### प्रलिस के लयः

वन और क्षेत्राधिकार, टी.एन. गोडावरमन थरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ नरिणय, 42वाँ संशोधन अधनियम, 1976, मौलकि करत्वय, वन संरक्षण अधनियम, 1980, राज्य के नीतानिदिशक सदिधांत ।

### मेन्स के लयः

वन और संबंघति कानून ।

## चरचा में क्योँ?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को उसके वन वभिग से राजस्व वभिग को उचति प्रक्रया का पालन कयि बना भूमि के हस्तांतरण पर आपत्ता जताई है ।

## पृष्ठभूमि

- मार्च, 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की किराज्य सरकार ने बस्तर क्षेत्र में रायपुर से बड़ा 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वन वभिग से राजस्व वभिग को हस्तांतरति कर दिया है ताकि उद्योगों की स्थापना और बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लयि भूमि की आसान उपलब्धता सुनिश्चति की जा सके ।
- अगस्त, 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय ने राज्य को भूमि के हस्तांतरण को रोकने का प्रयास यह कहते हुए कयि कयि यह वन संरक्षण अधनियम, 1980 और सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों का उल्लंघन है, अतः पहले से हस्तांतरति भूमि को वापस कर दें ।
- यह कदम अब बाधा बन गया है, जबकिराज्य के अन्य हसिसों में अधिक भूमि स्थानांतरति करने के लयि कागजी कार्रवाई भी चल रही है ।

## वन :

### परचियः

- वर्तमान में 'वन' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जसिे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कयि गया हो ।
- राज्यों को वनों की अपनी परिभाषा निर्धारति करने के लयि अधिकार दिया गया है ।
- वर्ष 1996 से भूमि को वन के रूप में परिभाषति करने का विशेषाधिकार राज्य का रहा है और इसकी उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय के टी.एन. गोडावरमन थरुमुल्कपाद बनाम भारतीय संघ (T.N. Godavarman Thirumulkpad vs the Union of India) नरिणय के बाद हुई है ।
  - इस नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कयि 'वन' शब्द को इसके 'शब्दकोश के अर्थ' के अनुसार समझा जाना चाहयि ।
  - इसमें सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल हैं, चाहे उन्हें आरक्षति, संरक्षति या अवरगीकृत श्रेणी के रूप में रखा गया हो ।

### संवैधानिक प्रावधान एवं क्षेत्राधिकारः

- जंगल' या 'वन' (Forests) भारतीय संवैधान की सातवीं अनुसूची में वर्णति 'समवर्ती सूची' में सूचीबद्ध हैं ।
- **42वें संशोधन अधनियम, 1976** के माध्यम से वन और वन्यजीवों तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरति कर दिया गया ।
- भारतीय वन (IF) अधनियम, 1927 के तहत अधिसूचति दो प्रकार के वनों पर राज्य के वन वभिगों का अधिकार क्षेत्र है: आरक्षति वन (RF), जहाँ नरिदषिट कयि जाने तक कसिी भी अधिकार की अनुमति नहीं है; और संरक्षति वन (PF), जहाँ नरिदषिट कयि जाने तक कोई अधिकार वर्जति नहीं है । कुछ वन, जैसे गाँव या नगरपालिका वन, राज्य के राजस्व वभिगों द्वारा प्रबंधति कयि जाते हैं ।
- संवैधान के **अनुच्छेद 51A(g)** में कहा गया है कयि वनों और वन्यजीवों सहति प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का **मौलिक करत्वय** होगा ।
- **राज्य के नीतानिदिशक सदिधांतों** के **अनुच्छेद 48A** में कहा गया है कयिराज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं

वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

## वन मंजूरी:

- **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** सभी प्रकार के वनों पर लागू होता है, चाहे वह वन या राजस्व विभाग के नियंत्रण में हो और किसी भी गैर-वन उद्देश्य जैसे उद्योग, खनन या निर्माण के लिये वनों का उपयोग करने से पहले इसके लिये वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होती है।
  - एक अन्य प्रकार की मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी एक लंबी प्रक्रिया है तथा एक नश्चित आकार से परे परियोजनाओं के लिये अनिवार्य है और इसमें अक्सर एक संभावित परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और कभी-कभी सार्वजनिक सुनवाई शामिल होती है जिसमें स्थानीय लोग शामिल होते हैं जो परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं।

## अनरिधारित संरक्षित वन:

- अनरिधारित संरक्षित वनों को **नारंगी क्षेत्र (Orange Area)** भी कहा जाता है, जो एक प्रशासनिक गतरिध का परिणाम है और वर्ष 1951 में जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के बाद से **राजस्व और वन विभागों के मध्य** विवाद का विषय बना हुआ है।
- **वन संरक्षण (FC) अधिनियम, वर्ष 1980** के तहत अनरिधारित संरक्षित वनों का उपयोग **गैर-वन उद्देश्यों के लिये बना मंजूरी के** नहीं किया जा सकता है।

## भारत के वनों को नियंत्रित करने वाली नीतियाँ:

- [भारतीय वन नीति, 1952](#)
- [वन संरक्षण अधिनियम, 1980](#)
- [राष्ट्रीय वन नीति, 1988](#)
- [राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम](#)
- [वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972](#)
- [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम, 1986](#)
- [जैव विविधता अधिनियम, 2002](#)
- [अनुसूचित जनजात और अन्य परंपरागत वन निवासी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधिनियम, 2006](#)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

### प्रलिस:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन निवासियों को वनक्षेत्रों में उगने वाले बाँस को काटने का अधिकार है।
2. अनुसूचित जनजात एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है।
3. अनुसूचित जनजात एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- भारतीय वन (संशोधन) विधायक 2017 गैर-वन क्षेत्रों में उगाए गए बाँस की कटाई और पारगमन की अनुमति देता है। हालाँकि, वन भूमि पर उगाए गए बाँस को पेड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा और मौजूदा कानूनी प्रतर्बिधों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, बाँस को लघु वन उपज के रूप में मान्यता देता है और अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों के साथ "स्वामित्व, लघु वन उपज के संग्रहण, उपयोग तथा निपटान के अधिकार" को नहिा करता है। **अतः कथन 2 और 3 सही हैं।**

मेन्स:

प्रश्न. अवैध खनन के परिणाम क्या हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की "गो" और "नो गो" ज़ोन की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। (2013)

प्रश्न. भारत के वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर इसके परिणामी प्रभावों की जाँच कीजिये। (2020)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/forests-and-jurisdictions>

